

मुख्यमंत्री ने कथि 'राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्टुअल हायरगि रूलस-2023' के प्रारूप का अनुमोदन

चर्चा में क्यों?

25 अगस्त, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्टुअल हायरगि रूलस-2023' के प्रारूप का अनुमोदन कथि है। इन नयिमें के अंतरगत मानदेय कार्मिकों का 2-3 लाख रुपए का रटायरमेंट सहायता पैकेज सुनश्चिति हो सकेगा।

प्रमुख बढि

- गौरतलब है कि राज्ज सरकार प्रदेश में पार्ट टाइम कार्यरत् मानदेय कार्मियों की सामाजकि सुरक्षा सुनश्चिति करने के लयि नरितर महत्त्वपूर्ण नरिणय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने इस प्रारूप का अनुमोदन कथि है।
- प्रारूप को मंत्रमिंडल की सहमती मिलने के बाद नयिमें में आने वाले पार्ट टाइम कार्मिकों को नरिधारति सेवा अवधि पूरण करने पर सेवा समाप्ति, मृत्यु या सेवानवृत्ति की स्थिति में सेवानवृत्ति परलिभ दयि जाएंगे।
- कार्मिकि द्वारा 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरण करने पर 2 लाख, 15 वर्ष की सेवा अवधि पूरण करने पर 2.50 लाख, 20 वर्ष की सेवा अवधि पूरण करने पर 2.75 लाख एवं 25 वर्ष की सेवा अवधि पूरण करने पर 3 लाख रुपए का परलिभ दयि जाना प्रस्तावति है। इसी प्रकार, कार्मिकि की सेवानवृत्ति पर (समयावधि कुछ भी होते हुए) 3 लाख रुपए की राशि दयि जाना प्रस्तावति है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में पार्ट टाइम आधार पर कार्यरत् मानदेय कार्मियों, जैसे- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, सहायकि, कुक, फर्राश आदि को उचित संरक्षण एवं आर्थकि सहयोग की दृष्टि से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्टुअल हायरगि रूलस-2023 बनाए जाने की घोषणा की थी।